न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /39/2024

पब्लिक रोज शिक्षा समिति हन्तरा जरिये सचिव संतोश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद जाति जाट निवासी ग्रांम हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार नदबई, जिला भरतपुर

.....रेस्पो.

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 2096 दिनांक 4.9.2024 तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर ।

उपस्थितः—
1—श्री कृष्ण कुमार सिंघल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2—पैरोकार सरकार रेस्पो.

निर्णय दिनांक 16.04.2025

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ तहसीलदार नदबई आदेश दिनांक 4.9.2024 नामान्तकरण संख्या 2096 ग्रांम हन्तरा तहसील नदबई के खिलाफ इस न्यायालय में दिनांक 29.11.2024 को पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार नदबई से तहत पत्रावली प्राप्त होने पर, न्यायालय की पत्रावली के साथ नत्थीबद्ध की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट ने सक्षम भू रुपान्तरण अधिकारी के समक्ष ग्रांमीण क्षेत्र में कृषि भूमि को अकृषि भूमि में रुपान्तरण हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.8.2024 को सक्षम अधिकारी एस.डी.एम. नदबई को दिया गया जिसमें आराजी खसरा नम्बरान 925, 926, 928, 929, 3999/930, 5000/930, 4001/930, 889, 893 कुल रकवा 8700 वर्गमीटर में से 6580 वर्गमीटर का भू रुपान्तरण (Instiutional Purpose & Medical Facilities) हेतु निवेदन किया गया। भू— रुपान्तरण आदेश के साथ नक्शा में स्पष्ट रुप से वर्णित है कि रोड में कोई भूमि सरेण्डर नहीं की गयी, कुल एप्लाईड ऐरिया 6580 वर्गफुट ही रहा। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरान में से शेष 2120 वर्गमीटर भूमि प्रार्थी अपीलान्ट की आराजी निजी खातेदारी की भूमि रही। जिसे तहसीलदार नदबई द्वारा अनाधिकृत रुप से गैर मुमकिन रास्ता सिवाय चक विवादित नामान्तकरण दर्ज करने में कानूनी भूल की है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट कहना है कि नामान्तकरण संख्या

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

2096 दिनांक 4.9.2024 को हाल खसरा नम्बरान 4070/3999/0.0582, 4072/4000/0.0272, 4074/926/0.01266 की सीमा तक निरस्त कर खाता संख्या 1 में गैर मुमकिन रास्ता में दर्ज उक्त भूमि 2120 वर्गमीटर को अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 14.11.2024 को आराजी की जमावन्दी की नकल प्राप्त करने पर हुई । अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर नामान्तकरण की नकल दिनांक 26.11.2024 को निकलवायी गई। अपील तैयार करा कर जानकारी दिनांक से बिना देरी से पेश की गई। देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियमय पेश किया गया है। देरी को माफ कर अपील स्वीकार की जाकर प्रार्थनानुसार उक्त भूमि 2120 वर्गमीटर को अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

पैरोकार सरकार ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी नदबई के पत्र क्रमांक/पीए/भूमि.रुपा/24/1454 दिनांक 03.07.24 की पालना में प्रार्थी सन्तोष कुमार पुत्र द्वारिका प्रसाद जाति जाट निवासी हन्तरा, सचिव पब्लिक रोज शिक्षा समिति हन्तरा, नदबई से समर्पणनामा तारीखी 11.7.2024 प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर निर्णय लिया जाकर राजस्व अभिलेख अंकजकिये जाने हेतु पटवारी हल्का को आदेश दिये गये जिसके आधार पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज किया गया है तथा तहत न्यायालय ने उसे स्वीकार किया है। अपील अपीलान्ट गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई है खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। तहसीलदार नदबई से प्राप्त पत्रादि का अध्ययन किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया।

अपीलान्ट का यह कथन कि उसने विवादित आराजी का कोई समर्पणनामा प्रस्तुत नहीं किया । तहसीलदार ने बिना सम्पर्णनामा / आदेश के एन. एच. से लगी हुई प्रार्थी की आराजी में से 2120 वर्ग मीटर नियमों के विपरीत गैर मुमकिन रास्ता में दर्ज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है स्वीकार योग्य नहीं, क्योंकि तहसीलदार नदबई से प्राप्त तहत पत्रावली की सत्यापित प्रति के अवलोकन से जाहिर आया कि उपखण्ड अधिकारी नदबई के पत्र क्रमांक / पीए / भूमि.रुपा / 24 / 1454 दिनांक 03.07.24 जो कि तहसीलदार नदबई को लिखा गया है जिसकी प्रति प्रार्थी / अपीलार्थी को भी दी गई है में पत्र के द्वितीय पैरा में आदेश दिया गया है जो इस प्रकार है :–

".....मूल पत्रावली आपको भेजकर लेख है कि उक्त खसरा नम्बरान में से राष्ट्रीय राजमार्ग के 75 मीटर के दायरे में आने वाले खसरा नम्बरान में से भूमि का समर्पण संबधित खातेदार से कराया जाकर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर सबंधित नामान्तकरण एवं जमाबंदी की एक–एक प्रति नक्शा एवं पत्रावली का अवलोकन कर प्रीमियम राशि की नियमानुसार गणना कर डीएलसी रेट की प्रति सहित मूल पत्रावली 2 दिवस में आवश्यक रुप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें..... ।"

चूँकि एस.डी.ओ. नदबई ने उक्त पत्र की प्रति प्रार्थी / अपीलार्थी को दी गई है। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी / प्रार्थी सन्तोष कुमार पुत्र द्वारिका प्रसाद जाति जाट निवासी हन्तरा, सचिव पब्लिक रोज शिक्षा समिति हन्तरा, नदबई से समर्पणनामा तारीखी 11.7.2024 तहसीलदार नदबई के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा समर्पणनामा प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार नदबई ने दिनांक 12.7.2024 को कार्यवाही करते हुये आदेश दिया है। आदेश के द्वितीय पैरा में इस प्रकार अंकित है :–

".....अतः आरटीए एक्ट 1955 की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व हैसियत धारी (भूमिधारी) तहसीलदार ग्रांम बाके ग्रांम हंतरा तहसील नदबई के आराजी खसरा नम्बर 926 वाके हंतरा में से 1266 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 3999 / 930 बाके हंतरा में से 582 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 4000 / 930 बाके हन्तरा में से 272 वर्गमीटर भूमि कुल 2120 वर्गमीटर भूमि का समर्पण गैर मुमकिन रास्त के प्रयोजनार्थ हेतु राजहित में एतद् द्वारा स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का हतंरा को समर्पित भूमि का मुताबिक संलग्न नक्शा अनुसार कब्जा लेने व राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने हेतु निर्देशित एवं पालना सुनिश्चित करें..... ।"

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

उक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने एस.डी.ओ. नदबई के आदेश की पालना में विवादित रास्ता भूमि का समर्पणनामा तहत न्यायालय तहसीलदार नदबई के समक्ष पेश किया गया है, जिसके आधार पर तहसीलदार नदबई ने निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2096 दिनांक 4.9.2024 ग्रांम हन्तरा विधिवत स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अपीलान्ट किसी प्रकार का रिलीफ पाने का हकदार नहीं रहता है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति तहसीलदार नदबई को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर